

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़
भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : seaccg@gmail.com

विषय:- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 17/06/2022 को संपन्न 411वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—00—

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 411वीं बैठक दिनांक 17/06/2022 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. श्री किशन सिंह धुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. श्री कलदियुस तिकी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेन्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:-

एजेन्डा आयटम क्रमांक-1: 410वीं बैठक दिनांक 16/06/2022 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 410वीं बैठक दिनांक 16/06/2022 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

4. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्फारोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा.), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क/ख.लि./उ.प. 36/2006/3328 रायपुर, दिनांक 10/02/2017 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क्यू/ख.लि./तीन-6/2021 रायपुर, दिनांक 18/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 14 खदानें, क्षेत्रफल 11.96 हेक्टेयर है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क/ख.लि./तीन-6/2019/2015 रायपुर, दिनांक 23/09/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है, जिसमें लीज डीड श्री कृष्ण देव सिंह के नाम पर है। लीज 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 30/03/2005 से 29/03/2015 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 30/03/2015 से 29/03/2035 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आवादी ग्राम-निसदा 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम-निसदा 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कि.मी. दूर है। महानदी 100 मीटर दूर है।
10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 65,467 टन (26,187 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 20,308 टन (8,122 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व 15,229 टन (6,091 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,113 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में कृशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	3,888.75
द्वितीय	3,937.50



तृतीय	3,956.25
चतुर्थ	4,087.50
पंचम	3,491.25

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 460 नम वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 1,113 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 681 वर्गमीटर क्षेत्र 3 मीटर की गहराई तक पूर्व से उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
15. **उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (D) के अनुसार:-**

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र के भीतर इमली का वृक्ष (tamarind tree) होने के कारण 216 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि क्लस्टर में शामिल कुछ खदानों द्वारा पूर्व में बेसलाईन डाटा एकत्रित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किया गया है। आवेदित प्रकरण में उक्त एकत्रित बेसलाईन डाटा का उपयोग कर ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने का अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा निर्दिष्ट किया गया कि पूर्व में जिन खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, उनका सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही जिन मान्यता प्राप्त नैबेट कंपनी द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किया गया था, उनका भी सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
18. **माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल सेव, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य**

(ऑरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक वयू/ख.लि./तीन-6/2021 रायपुर, दिनांक 16/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 14 खदानें, क्षेत्रफल 11.96 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-निसदा) का रकबा 0.364 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-निसदा) को मिलाकर कुल रकबा 12.33 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत संचालक, संचालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।
3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-
 - i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
 - ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - iii. Project proponent shall submit top soil managment & incorporate the details in the EIA report.



- iv. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.
- v. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.
- vi. Project proponent shall submit the consent copy of old mine lease holder and the NABET accredited company for using baseline data for EIA report.
- vii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.
- viii. Project proponent shall obtain permission from DGMS for controlled blasting & incorporate the copy in the EIA report.
- ix. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- x. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स खोडरी ब्रिक अर्थवले क्वारी माईन एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट (प्रो.- श्री अरुण कुमार साहु), ग्राम-खोडरी, तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1875)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 245792/2021, दिनांक 18/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम-खोडरी, तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 159/2 एवं 159/3, कुल क्षेत्रफल-1.2 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 8,17,304 नग प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 12/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 404वीं बैठक दिनांक 19/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 19/04/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 411वीं बैठक दिनांक 17/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 17/06/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स ईरा ब्रिक्स अर्थ क्वारी (प्रो.- श्री अग्निधेक चक्रधारी), ग्राम-ईरा, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1905)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 250654 / 2022, दिनांक 08/01/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स धिमनी ईट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम-ईरा, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 483, 490(पार्ट), 493(पार्ट), 494(पार्ट), 495/2, 496(पार्ट), 482, 484(पार्ट), 476/1, 476/2, 477, 478, 479, 480, 481, 495/1, 495/4(पार्ट) एवं 495/5(पार्ट), कुल क्षेत्रफल-2.84 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 3,200 घनमीटर (ईट उत्पादन इकाई 32,00,000 नग) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 405वीं बैठक दिनांक 28/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28/04/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक



समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 411वीं बैठक दिनांक 17/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 17/06/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि व्यक्तिगत कारणों से उक्त भूमि पर कार्य कर पाना संभव नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया, जिससे समिति सहमत हुई।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई। साथ ही समिति का यह भी मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के अनुसार पुनः आवेदन किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स टी.आर. ब्रिक्स (प्रो.- श्री टेगलाल राजवाड़े, कुंजनगर ब्रिक्स अर्थवले क्वारी माईन एण्ड फिक्स विमनी ब्रिक प्लांट) ग्राम-कुंजनगर, तहसील व जिला-सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1910)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 248694/2021, दिनांक 12/01/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (मौण खनिज) खदान एवं फिक्स विमनी ईट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम-कुंजनगर, तहसील व जिला-सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 653, 582, 584, 585, 586, एवं 650, कुल क्षेत्रफल-2.25 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 882.76 घनमीटर (ईट उत्पादन इकाई 6.31,579 नग) प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 405वीं बैठक दिनांक 28/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28/04/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को अमान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 11/06/2021 के परिपेक्ष्य की वाछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 20/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 23/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मङ्गल राम, प्रोपराईटर सलाहकार के रूप में मेसर्स ओवरशीस माईन-टेक कन्सलटेन्ट्स की ओर से डॉ. अंजली हरीभाउ चाचाने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
- ii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 2756/ खनिज/ ख.लि.02/ खनिपट्टा/ 4/ 94 जगदलपुर दिनांक 22/12/2018 के अनुसार वर्षवार उत्पादन का विवरण प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार—

वर्ष	उत्खनन मात्रा (टन)	वर्ष	उत्खनन मात्रा (टन)
2001	4,937	2010	10,264.64
2002	13,311	2011	1,300
2003	8,654	2012	1,495.96
2004	5,831	2013	1,501
2005	9,082	2014	—
2006	6,474	2015	776
2007	3,803	2016	3,042.195
2008	6,333	2017	50
2009	5,719		

iii. उत्खनन कार्य दिनांक 06/02/2018 से बंद है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कडांजी का दिनांक 02/10/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना — मॉडिफाइड माईनिंग प्लान एण्ड प्रॉजेसिब माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक बस्तर/ चूप/ खयो-1155/ 2018/ रायपुर दिनांक 18/07/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 2426/खनिज/ख.लि.1/ख.प.

/2018 जगदलपुर, दिनांक 16/10/2018 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, क्षेत्रफल 15.83 हेक्टेयर होना बताया गया है, जिसमें केवल विद्याराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विद्याराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा नहीं होने के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।
6. **लीज का विवरण** – लीज श्री मद्दडा राम के नाम पर है। लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 19/07/1999 से 18/07/2019 तक की अवधि हेतु वैध थी।
7. **भू-स्वामित्व** – भू-स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मंडलाधिकारी, बरतार सामान्य वन मंडल, जगदलपुर के झापन क्रमांक 2219, दिनांक 09/07/1999 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-बड़ांजी 0.75 कि.मी., स्कूल एवं अस्पताल ग्राम-बड़ांजी 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 136 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 58 कि.मी. दूर है। छोटा नाला 1.25 कि.मी., इन्द्रावती नदी 2 कि.मी., नरगी नदी 4 कि.मी. एवं मारकण्डी नदी 7.9 कि.मी. दूर है।
11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 8,30,785 टन एवं नाईनेबल रिजर्व 3,38,636 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का कुल क्षेत्रफल 4,200 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकनाईउड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित

अधिकतम गहराई 13 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 10 मीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर है। खदान की संभावित आयु 34 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया गया है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
2016-17	1,974 (Actual)
2017-18	0 (Actual)
2018-19	10,000
2019-20	10,000
2020-21	10,000

13. **जल आपूर्ति** - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 883 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त की जाएगी।
14. **वृक्षारोपण कार्य** - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,100 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** - प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,200 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 740 वर्गमीटर क्षेत्र उत्खनित है। उपरोक्त पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि माईनिंग प्लान अनुसार वेस्ट/डम्प को 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में भंडारण किया जाएगा। साथ ही अनुमोदित माईनिंग प्लान में क्रशर का क्षेत्रफल 10 वर्गमीटर है, जो कि उपयुक्त प्रतिपादित नहीं होता है। समिति का मत है कि 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी को छोड़कर लीज क्षेत्र के भीतर किसी अन्य क्षेत्र में वेस्ट/डम्प क्षेत्र प्रस्तावित कर एवं क्रशर क्षेत्र का उल्लेख कर लेण्ड यूज पैटर्न के साथ संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

18. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-**

- i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – मॉनिटरिंग कार्य मार्च, 2019 से मई, 2019 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 7 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 7 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
 - ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम._{2.5} 21.14 से 33.66 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.₁₀ 47.38 से 64.55 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ₂ 8.54 से 13.82 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ_x 9.82 से 18.95 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।
 - iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।
 - iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 40.2 डीबीए से 59.2 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 38.4 डीबीए से 56.6 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।
19. लोक सुनवाई दिनांक 13/01/2021 प्रातः 11:00 बजे स्थान – प्रेरणा हॉल, जिला कार्यालय, जगदलपुर, जिला-बस्तर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 08/02/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।
20. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- i. खदान क्षेत्र में घास चरते समय बैल गिर गया था एवं एक व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई थी।
- ii. पानी की व्यवस्था, मजदूरों की स्वास्थ्य बीमा आदि की व्यवस्था नहीं है।
- iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपरिथित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- i. पूर्व में हुई दुर्घटना हेतु मुआवजा दिया गया है। साथ ही ऐसी दुर्घटना दोबारा न हो इस हेतु खदान क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग कार्य किया गया है। लेकिन प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में खदान क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग का कार्य नहीं किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पक्की फेंसिंग (आर.सी.सी. के खम्भे एवं कटीली तार से) पूर्ण करने के उपरांत ही किया जाएगा।
- ii. सामाजिक एवं आर्थिक विकास के कार्य एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएगी।
- iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

21. इन्धायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में कुल 4 खदानें आती हैं। अतः इन्धायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित हैं:-

- I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
- II. खदान के 7.5 मीटर क्षेत्र में (2,100 नग) वृक्षारोपण एवं वृक्षारोपण के रख-रखाव हेतु अनुमानित राशि 2,10,000/- प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा।
- III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु अर्धवार्षिक मॉनिटरिंग कार्य (Half yearly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्धायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/- प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।
- IV. इन्धायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत उक्त कार्यों हेतु कुल राशि 4,50,000/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाली समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु पांच वर्षों का कॉमन इन्धायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उस प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता हेतु पांच वर्षों का व्यक्तिगत (Individual) इन्धायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

22. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

23. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कार्ययोजना-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा Environmental Compensation हेतु निम्न फार्मुला के आधार पर गणना कर क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) प्रस्तुत किया गया है:-

$$EC=PI \times N \times R \times S \times LF$$

Where,

EC - Environmental compensation in Rs.

PI - Pollution Index of Industrial Sector

N - Number of days of violation took place

R - a Factor in Rs. For EC

S - Factor for scale of operation

LF - Location Factor

$$\text{Environment Compensation} = PI \times N \times R \times LF \times S$$

$$\text{No of days(N)} = 74$$

$$\text{Environment Compensation} = 80 \times 74 \times 100 \times 0.5 \times 0.5 = \text{Rs. } 1,48,000/-$$

- II. समिति की पूर्व बैठक दिनांक 18/05/2020 को संपन्न 322वीं बैठक में Environmental Compensation के आंकलन की Methodology हेतु लिए गये निर्णय के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत रेमेडियल प्लान एवं

क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) रुपये 1,48,000 की गणना को मान्य किया गया।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation के रूप में राशि 1,48,000/- रुपये का उपयोग किये जाने हेतु उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. उपरोक्त विवरण अनुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहीं तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन / पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
5. भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया जाए।
6. लीज डीड की वैधता वृद्धि एवं भू-स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
7. क्लस्टर में आने वाली समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु पांच वर्षों का कॉमन इन्फ्लायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उस प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता हेतु पांच वर्षों का व्यक्तिगत (Individual) इन्फ्लायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाए।
8. लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर क्षेत्र (सेपटी जोन) के कुछ भाग उत्खनित है एवं इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) एवं रिजवर्स की विस्तृत गणना को समावेश करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत की जाए। साथ ही रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया जाए।
9. जारी टी.ओ.आर. के बिन्दु क्रमांक 11, 16, 24, 25, 27 एवं 36 की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
10. जारी टी.ओ.आर. में अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दु क्रमांक 6 के अनुसार शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।

11. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation के रूप में राशि 1,48,000/- रुपये निर्धारित की गई। इसका उपयोग आस-पास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवॉटर हार्वैस्टिंग व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।
12. उपरोक्तानुसार प्रस्ताव तैयार कर 1,48,000/- रुपये की बैंक गारंटी एवं समयबद्ध कार्ययोजना का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर में प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।
13. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
14. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/08/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 17/02/2022 को प्रस्तुत किया गया है। तदुपरांत नवीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 402वीं बैठक दिनांक 15/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मङ्गल राम, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि माईनिंग प्लान का अनुमोदन भारतीय खान ब्यूरो से होता है, जिसमें लगभग 3 माह का समय लगता है। अतः संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान जमा करने हेतु 3 माह का समय प्रदान किया जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 2010/खनिज/ख.लि.1/ख.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 25/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, क्षेत्रफल 15.83 हेक्टेयर है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 2009/खनिज/ख.लि.1/ख.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 25/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे नदी, नाला, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट, दार्शनिक स्थल एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
4. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा. वि./1113 जगदलपुर, दिनांक 20/03/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 7 कि.मी की दूरी पर है।
5. भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्द्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

- डस्ट सप्रेसन, वृक्षारोपण के रख-रखाव, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), ग्रामीणों के लिए हेल्थ चेकअप कैम्प हेतु प्रथम वर्ष में राशि 5,00,000/- प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

VII. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत उक्त कार्य क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:-

- I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
 - II. गांव के पहुँच मार्ग में (2,100 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 3,15,000/- प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। वृक्षारोपण के रख-रखाव हेतु अनुमानित राशि 2,10,000/- प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।
 - III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु अर्धवार्षिक मॉनिटरिंग कार्य (Half Yearly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/- प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।
 - IV. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत उक्त कार्य हेतु प्रथम पांच वर्षों में कुल राशि 7,65,000/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है। जिसमें समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।
8. लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर क्षेत्र (सेफ्टी जोन) के कुछ भाग उत्खनित है एवं इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) एवं रिजवर्स की विस्तृत गणना को समावेश करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर क्षेत्र (सेफ्टी जोन) के उत्खनित क्षेत्र का रेस्टोरेशन (Restoration) एवं रिजवर्स की विस्तृत गणना कर माईनिंग प्लान का अनुमोदन भारतीय खान ध्यूरो से कराकर प्रस्तुत किया जाएगा। अतः संशोधित माईनिंग प्लान जमा करने हेतु 3 माह का समय प्रदान किया जाए। समिति का मत है कि प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है। अतः नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
 9. जारी टी.ओ.आर. के बिन्दु क्रमांक 11, 18, 24, 25, 27 एवं 36 की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
 10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भविष्य में उल्लंघन नहीं किये जाने के संबंध में शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।
 11. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation के रूप में राशि 1,48,000/- रुपये निर्धारित की गई। इसका उपयोग शासकीय प्राथमरी स्कूल, बरांजी एवं शासकीय अपर प्राथमरी स्कूल, तराईभाटा में रेनवॉटर हार्बेस्टिंग व्यवस्था किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत किया गया।



2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रायती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स बड़ांजी लाईम स्टोन माईनिंग (प्रो.- श्री मड़डा राम, आदिवासी हरिजन स्टोन क्रशर को-ऑपरेटिव सोसायटी) की ग्राम-बड़ांजी, तहसील-लोहाडीगुडा, जिला-बस्तर के खसरा क्रमांक 207/13(पार्ट) में स्थित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-2.02 हेक्टेयर, क्षमता - 10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।
4. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रायती भवन, नया रायपुर अटल नगर को पत्र प्रेषित किया जाए।
5. संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान 2 माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
6. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) को सुचित किया जाए तथा कार्यपूर्ण उपरांत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/04/2022 को संपन्न 121वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक से जानकारी / दस्तावेज प्राप्त कर, उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को ए.आई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(द) समिति की 411वीं बैठक दिनांक 17/06/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी एवं प्राधिकरण की 121वीं बैठक दिनांक 27/04/2022 को लिए गये निर्णय का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-**

1. संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने एवं दण्डात्मक कार्यवाही उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।



परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

2. मेसर्स छापरमानपुरी लाईम स्टोन माईन (प्रो.- श्री बुधराम कश्यप, आदिवासी हरिजन श्रमिक स्टोन क्रशर को-ऑपरेटिव सोसायटी), ग्राम-छापरमानपुरी, तहसील-तोकापाल, जिला-बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 707)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 74576 / 2018, दिनांक 14 / 04 / 2018 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 63531 / 2018, दिनांक 28 / 05 / 2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाइनल ई. आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम-छापरमानपुरी, तहसील-तोकापाल, जिला-बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 1200(पार्ट), कुल क्षेत्रफल - 0.813 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 10,000 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25 / 06 / 2019 द्वारा प्रकरण बी-1 कटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 11 / 06 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 376वीं बैठक दिनांक 16 / 06 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई-मेल पत्र दिनांक 16 / 06 / 2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः दिनांक 17 / 06 / 2021 को आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को अमान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 11 / 06 / 2021 के परिपेक्ष्य की वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 20 / 07 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 23 / 07 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बुधराम करयप, प्रोपराईटर सलाहकार के रूप में मेसर्स ओवरशीस माईन-टेक कन्सलटेन्टस की ओर से डॉ. अंजली हरीभाउ घाघाने विडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 2698/खनिज/ख.लि.02/खनिपट्टा/2018 जगदलपुर, दिनांक 13/12/2018 के अनुसार वर्षवार उत्पादन का विवरण प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार-

वर्ष	उत्खनन मात्रा (टन)
28/11/2002 से 30/12/2002	130
01/01/2003 से 11/11/2003	506
05/03/2004 से 20/12/2004	250
09/02/2005 से 13/12/2005	834
21/04/2006 से 21/12/2006	226
01/01/2007 से 29/01/2007	24
08/01/2008 से 04/04/2008	114

iii. उत्खनन कार्य वर्ष 2008 से बंद है।

- ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत छापल्मानपुरी का दिनांक 29/01/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्खनन योजना - नॉडिफाइड माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक बस्तर/चूप/खयो-1154/2018/रायपुर/1411, दिनांक 18/07/2018 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 2427/खनिज/ख.लि.1/ख.प./2018 जगदलपुर, दिनांक 16/10/2018 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, क्षेत्रफल 6.05 हेक्टेयर होना बताया गया है, जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।



जाएगा। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,433 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – पश्चिमी दिशा में (NW & SW) बाउण्ड्री में 7.5 मीटर नहीं छोड़ा गया है तथा उत्खनन वर्तमान स्थिति में 7.5 मीटर में भी उक्त क्षेत्र में 5 मीटर तक किया गया है। अर्थात् उत्तरी-पश्चिमी एवं दक्षिणी-पश्चिमी दिशा में बाउण्ड्री में 7.5 मीटर चौड़ाई में 5 मीटर तक उत्खनन कर लिया गया है। इस 7.5 मीटर उत्खनित क्षेत्र को पूर्व में रखे मलबे/रीजेक्ट से भरा जाएगा तथा वृक्षारोपण किया जाएगा। अतः प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण शेष 7.5 मीटर क्षेत्र में किया जाएगा तथा उक्त क्षेत्र में भराव उपरान्त प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण किया जाएगा।
16. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-
 - i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – मॉनिटरिंग कार्य मार्च, 2019 से मई, 2019 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 7 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 7 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
 - ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम._{2.5} 19.14 से 32.44 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.₁₀ 50.14 से 65.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ₂ 8.14 से 14.91 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ_x 9.82 से 16.82 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।
 - iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।
 - iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 47.8 डीबीए से 63.4 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 42.2 डीबीए से 56.6 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।
17. लोक सुनवाई दिनांक 11/01/2021 प्रातः 11:00 बजे स्थान – प्रेरणा हॉल, जिला कार्यालय, जगदलपुर, जिला-बस्तर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 08/02/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।
18. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-
 - i. खदानों से डस्ट उत्सर्जन होता है।
 - ii. पानी की व्यवस्था, मजदूरों की स्वास्थ्य बीमा आदि की व्यवस्था नहीं है।
 - iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
32.7	2%	0.65	Following activities at Government Primary School, Village-Chapperbhanpuri	
			Potable Drinking Water Facility with AMC for 5 year	0.35
			Running water facility for Toilets	0.30
			Total	0.65

समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि उक्त शासकीय स्कूल में पीने योग्य पानी एवं रनिंग वॉटर की व्यवस्था पूर्व से ही है। अतः समिति द्वारा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. भू-स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
5. क्लस्टर में आने वाली समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु पांच वर्षों का कॉमन इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उस प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता हेतु पांच वर्षों का व्यक्तिगत (Individual) इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाए।
6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
7. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।



तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/08/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 17/02/2022 को प्रस्तुत किया गया है। तदुपरांत नवीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 402वीं बैठक दिनांक 16/03/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 2011/खनिज/ख.लि.1/ख.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 25/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, क्षेत्रफल 6.05 हेक्टेयर है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 2012/खनिज/ख.लि.1/ख.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 25/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति स्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
3. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. भूमि शासकीय भूमि है।
5. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान - परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 5 खदानें आती हैं। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित हैं:-
 - I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव 1.5 कि.मी. तक पहुँच मार्गों हेतु अनुमानित राशि 1,80,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
 - II. गांव के (1.5 कि.मी. तक) पहुँच मार्ग के एक तरफ कम से कम दो कतार में (1,000 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 1,56,500/- प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। आगामी चार वर्षों के लिए वृक्षारोपण के रख-रखाव हेतु अनुमानित राशि 4,78,950/- प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।
 - III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु अर्धवार्षिक मॉनिटरिंग कार्य (Half Yearly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 80,000/- प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।
 - IV. सड़कों/ पहुँच मार्ग (1.5 कि.मी. तक) का संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 1,00,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

- V. ग्रामीणों के लिए हेल्थ चेकअप कैंप हेतु अनुमानित राशि 50,000/- प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।
- VI. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत उक्त कार्यों हेतु प्रथम पांच वर्षों में कुल राशि 34,05,250/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है-
- प्रथम वर्ष में राशि 10,45,450/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
 - डस्ट सप्रेसन, वृक्षारोपण के रख-रखाव, इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), ग्रामीणों के लिए हेल्थ चेकअप कैंप हेतु द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में राशि 6,25,150/- प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
 - डस्ट सप्रेसन, वृक्षारोपण के रख-रखाव, इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), ग्रामीणों के लिए हेल्थ चेकअप कैंप हेतु चतुर्थ वर्ष में राशि 6,09,500/- प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
 - डस्ट सप्रेसन, वृक्षारोपण के रख-रखाव, इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), ग्रामीणों के लिए हेल्थ चेकअप कैंप हेतु पांचम वर्ष में राशि 5,00,000/- प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी-

- I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
 - II. गांव के पहुँच मार्ग में (1,433 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 2,15,000/- प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। वृक्षारोपण के रख-रखाव हेतु अनुमानित राशि 1,43,000/- प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।
 - III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु अर्धवार्षिक मॉनिटरिंग कार्य (Half Yearly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 90,000/- प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।
 - IV. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत उक्त कार्यों हेतु प्रथम पांच वर्षों में कुल राशि 5,68,000/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की विस्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

7. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान के साथ सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया है –

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
32.7	2%	0.65	Following activities at Government Primary School, Village-Chapperbhanpuri	
			Rain water harvesting	1.14
			Total	1.14

प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के ड्रापन क्रमांक 2011/खनिज/ख.लि.1/ख.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 25/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, क्षेत्रफल 6.05 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-छापरभानपुरी) का रकबा 0.813 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-छापरभानपुरी) को मिलाकर कुल रकबा 6.86 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की मानी गयी।
- भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु

क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मैसर्स छापरभानपुरी लाईम स्टोन माईनिंग (प्रो.- श्री बुधराम कश्यप, आदिवासी हरिजन श्रमिक स्टोन क्रशर को-ऑपरेटिव सोसायटी) की ग्राम-छापरभानपुरी, तहसील-तोकापाल, जिला-बस्तर के खसरा क्रमांक 1200(पार्ट) में स्थित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-0.813 हेक्टेयर, क्षमता - 10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।
4. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, भूमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र प्रेषित किया जाए।
5. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) को सूचित करने तथा कार्यपूर्ण उपरांत प्राचार्य (Principal) से प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/04/2022 को संपन्न 121वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में वर्षवार आगामी वर्षों की प्रस्तावित उत्खनन योजना का प्रस्ताव वर्ष 2017 से 2022 तक के लिए दिया गया था, जिसकी उत्खनन योजना की अवधि समाप्त हो गई है। अतः उक्त हेतु अनुमोदित माईनिंग प्लान के उत्खनन योजना में संशोधन किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक से जानकारी / दस्तावेज प्राप्त कर, उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(द) समिति की 411वीं बैठक दिनांक 17/06/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी एवं प्राधिकरण की 121वीं बैठक दिनांक 27/04/2022 को लिए गये निर्णय का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में वर्षवार आगामी वर्षों की प्रस्तावित उत्खनन योजना का प्रस्ताव वर्ष 2017 से 2022 तक के लिए दिया गया था, जिसकी उत्खनन योजना की अवधि समाप्त हो गई है। अतः उक्त हेतु अनुमोदित माईनिंग प्लान के उत्खनन योजना में संशोधन किया जाना आवश्यक है।
2. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. अनुमोदित माईनिंग प्लान के उत्खनन योजना में संशोधन कर प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक-4: परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स पथराकुण्डी लाईम स्टोन माईनिंग (प्रो.- श्री अक्वेश जैन), ग्राम-पथराकुण्डी, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 580)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रयोजल नम्बर - एसआईए/सीजी / एमआईएन/ 63990/2017, दिनांक 15/04/2017 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजल नम्बर - एसआईए /सीजी /एमआईएन/63896/2018, दिनांक 05/06/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संघालित घुना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम-पथराकुण्डी, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 314/2 एवं 315/2, कुल क्षेत्रफल-7.044 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-94,500 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/12/2018 द्वारा प्रकरण बी-1 कटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 378वीं बैठक दिनांक 18/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई-मेल पत्र दिनांक 18/06/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित

होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 11/06/2021 के परिपेक्ष्य की वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 20/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 23/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अवधेश जैन, प्रोपराईटर सलाहकार के रूप में मेसर्स ओवरशीस माईन-टेक कन्सलटेन्ट्स की ओर से डॉ. अंजली हरीभाउ घाघाने विधियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 314/2 एवं 315/2, कुल क्षेत्रफल- 7.044 हेक्टेयर, क्षमता-5,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 27/10/2009 को जारी की गई। यह स्वीकृति 5 वर्ष (For Commissioning of mine operation) तक की अवधि हेतु जारी की गई है।
- ii. क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर के ज्ञापन दिनांक 05/03/2018 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2008-09	2,223.75
2009-10	2,223.75
2010-11	3,890.62
2011-12	3,890.62
2012-13	5,555.62
2013-14	
2014-15	निरक
2015-16	
2016-17	37,800
2017-18	37,800

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। उक्त के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज) जिला-रायपुर के पत्र क्रमांक 3010/तीन-6/ख.प.

11/07 रायपुर दिनांक 03/11/2011 एवं पत्र क्रमांक 1398/तीन-6/ख.प.
11/07 रायपुर दिनांक 20/09/2012 प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार
ग्राम पंचायत के मवेशी की संख्या के अनुरूप आवश्यक चराई रकबा 40 हेक्टेयर
भूमि सुरक्षित होना बताया गया है। ग्राम में शासकीय वन से भी चराई का
निस्तार मिलता है तथा इस प्रकार ग्राम में चराई रकबा 115.984 हेक्टेयर है।
समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि पूर्व में खनिज विभाग द्वारा ग्राम पंचायत
का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये बिना लीज आर्बिट्रि की गई है तथा राज्य
स्तर पर्यावरण समझौता निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति
भी जारी की गई है।

3. **उत्खनन योजना** - रीक्यू ऑफ माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान (Review of Mining Plan and Progressive Mine Closure Plan) प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के पत्र क्रमांक रायपुर/चूप/खयो/1143/2017-रायपुर/177, दिनांक 27/04/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क/खनिज/2018/क्यू रायपुर, दिनांक 01/10/2018 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **लीज का विवरण** - लीज श्री अवधेश जैन के नाम पर है। लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 02/05/2008 से 01/05/2028 तक की अवधि हेतु वैध है।
6. **भू-स्वामित्व** - भू-स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** - कार्यालय वन मंडलाधिकारी, रायपुर सामान्य वनमंडल, जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./रा./635 रायपुर, दिनांक 27/06/2008 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से 1 कि.मी. की दूरी पर है।
9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** - निकटतम आबादी ग्राम-पथराकुण्डी 450 मीटर एवं अस्पताल खरोरा 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.77 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11.47 कि.मी. दूर है। छोटा नाला 0.2 कि.मी. एवं कलडबरी संरक्षित वन 1 कि.मी. दूर है।
10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** - जियोलॉजिकल रिजर्व 49,16,420 टन एवं माईनेबल रिजर्व 14,72,793 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का कुल क्षेत्रफल 10,095 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25



मीटर है तथा कुल मात्रा 9,000 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंब की ऊंचाई 5 मीटर एवं चौड़ाई 10 मीटर है। खदान की संभावित आयु 15 वर्ष है। लीज क्षेत्र में कहरर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ब्लारिस्टिंग नहीं किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
2018-19	94,500
2019-20	94,500
2020-21	94,500
2021-22	94,500
2022-23	94,500

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति ट्यूब वेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पेयजल की आपूर्ति ट्यूब वेल के माध्यम से की जाएगी। इस संबंध में उनके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रस्तावित ट्यूब वेल सार्वजनिक है अथवा निजी?
 - i. यदि स्थित ट्यूब वेल लीज क्षेत्र के भीतर अथवा अन्य स्थल पर व्यक्तिगत हो तो भू-जल की उपयोगिता हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
 - ii. यदि ट्यूब वेल सार्वजनिक हो तो जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 5,048 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-**
 - i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य मार्च, 2019 से मई, 2019 के माध्यम किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 6 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 1 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
 - ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम_{2.5} 21.36 से 32.16 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम₁₀ 50.26 से 66.72 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ₂ 8.14 से 11.82 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ_x 8.56 से 15.82 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

- III. परियोजना पर्यावरण, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु अर्धवार्षिक मॉनिटरिंग कार्य (Half yearly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/- प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।
- IV. सड़कों के संचारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 97,000/- प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत उक्त कार्य क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।
20. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
88.11	2%	1.76	Following activities at Government Primary and Middle Schools, Village-Pathrakundi	
			Rain Water Harvesting System in Government Primary School Village-Pathrakundi	0.855
			Rain Water Harvesting System in Government Middle School Village-Pathrakundi	0.915
			Total	1.770

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. मू-स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. उपरोक्त विवरण को स्पष्ट करते हुये पेयजल आपूर्ति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए।

5. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/08/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/09/2021 एवं 14/09/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 389वीं बैठक दिनांक 13/09/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. आवेदित भूमि शासकीय भूमि है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पेयजल की आपूर्ति लीज क्षेत्र के भीतर स्थित द्यूब वेल के माध्यम से की जाएगी। भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 744/ख. लि./तीन-6/2021 रायपुर, दिनांक 08/09/2021 द्वारा विगत वर्ष 2017 से जून, 2021 तक उत्खनन कार्य निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 744/ख. लि./तीन-6/2021 रायपुर, दिनांक 08/09/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एमीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क/खनिज/2018/क्यू रायपुर, दिनांक 01/10/2018 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-पथराकुण्डी) का रकबा 7.044 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की मानी गयी।
2. पूर्व में खनिज विभाग द्वारा ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये बिना लीज आवंटित की गई थी तथा राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति भी जारी की गई थी। साथ ही रीक्यू ऑफ माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान (Review of Mining Plan and Progressive Mine Closure Plan) क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के पत्र क्रमांक रायपुर/चूप/खयो/1143/2017-रायपुर/177, दिनांक 27/04/2018 द्वारा अनुमोदित है। वर्तमान में लीज क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं होते हुए यथावत है, केवल उत्खनन क्षमता में वृद्धि हो रही है। ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में निम्न प्रावधान है:-

"Clearances from other regulatory bodies or authorities shall not be required prior to receipt of applications for prior environmental clearance of projects or activities, or screening, or scoping, or appraisal, or decision by the regulatory authority concerned, unless any of these is sequentially

dependent on such clearance either due to a requirement of law, or for necessary technical reasons.

3. उपरोक्त तथ्यों पर समिति द्वारा सम्यक रूप से विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स पथराकुण्डी लाईम स्टोन माईन (प्रो. – श्री अजयेश जैन) की ग्राम-पथराकुण्डी, तहसील-तिल्वा, जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 314/2 एवं 315/2 में स्थित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-7.044 हेक्टेयर, क्षमता – 94,500 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।
4. खनिज विभाग द्वारा पूर्व में लीज दिये जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में खनिज विभाग द्वारा उपयुक्त कार्यवाही एवं निर्णय लेने के उपरांत भू-प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2021 को संपन्न 116वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता के संबंध में पेसा एक्ट (PESA Act) के तहत परीक्षण कर, उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(द) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. प्रस्तुत रीक्यू ऑफ माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान अनुसार ग्राम-पथराकुण्डी से प्रस्तावित खदान स्थल की दूरी 1 कि.मी. एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत जानकारी (Presentation copy) में खदान खदान स्थल की दूरी 0.45 कि.मी. बताई गई है। अतः उक्त स्पष्टीकरण करते हुये ग्राम-पथराकुण्डी से प्रस्तावित खदान स्थल की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी खनि अधिकारी से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता के संबंध में पेसा एक्ट (PESA Act) का अवलोकन किया गया।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. ग्राम-पथराकुण्डी से प्रस्तावित खदान स्थल की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी खनि अधिकारी से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
3. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

2. मेसर्स टिकनपाल नागो लाईम स्टोन माईन (प्रो.- श्री नागो), ग्राम-टिकनपाल, तहसील व जिला-बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1723)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 216931 / 2020, दिनांक 02 / 07 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गोण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-टिकनपाल, तहसील व जिला-बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 292, कुल क्षेत्रफल-1.5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-30,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 26 / 07 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 383वीं बैठक दिनांक 31 / 07 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सतवीर सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत टिकनपाल का दिनांक 01 / 01 / 2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 161 / खनिज / उत्ख.यो. / 2021-22 दन्तेवाड़ा, दिनांक 09 / 06 / 2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जगदलपुर, जिला-बस्तर के पृ. ज्ञापन क्रमांक / 1791 / खनिज / ख.लि.4 / 22 / 2020-21 / उ.प. / 2021 जगदलपुर, दिनांक 30 / 07 / 2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, क्षेत्रफल 3.74 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनेरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1793/खनिज/ख.लि.4/22/2020-21/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 30/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बाँध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1270/खनिज/ख.लि.4/22/2020/खनिज/उ.प./2020 जगदलपुर, दिनांक 04/06/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 1 वर्ष हेतु वैध है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक/क.त.अ./2693 जगदलपुर, दिनांक 30/07/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन भूमि से 500 मीटर की दूरी पर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-टिकनपाल 300 मीटर एवं स्कूल ग्राम-टिकनपाल 600 मीटर एवं अस्पताल ग्राम-टिकनपाल 650 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 3,28,125 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 1,39,070 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व लगभग 1,25,163 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,380 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 13.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 6,746 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बाँध की ऊँचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लारिंटिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	13,125	षष्ठम	13,125
द्वितीय	13,125	सप्तम	13,125
तृतीय	30,000	अष्टम	13,125
चतुर्थ	13,125	नवम	13,125
पंचम	13,125	दशम	4,065

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति बोश्वेल से की जाएगी। भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अधीरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।
13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. **प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ऊपरी मिट्टी की कुल मात्रा 6,746 घनमीटर है, जिसको लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में 2.4 मीटर की उंचाई तक भंडारण कर वृक्षारोपण किया जाएगा। जिसके परिदृश्य में समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में 1 मीटर की उंचाई से अधिक भंडारण किया जाना संभव नहीं है। ऊपरी मिट्टी भण्डारण प्रबंधन की उपयुक्त जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में ऊपरी मिट्टी भण्डारण प्रबंधन को शामिल करते हुए संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।**
16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीई आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
25	2%	0.50	Following activities at Government Primary & Middle Schools, Village- Tikanpal	
			Rain Water Harvesting System	0.15
			Potable Drinking water Facility	0.30
			Plantation	0.15
Total			0.60	

17. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि समिति की 382वीं बैठक दिनांक 30/07/2021 में मेसर्स टिकनपाल लाईम स्टोन माईनिंग (प्रो.- श्री संजय मथरानी), ग्राम-टिकनपाल, तहसील व जिला-बस्तर द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जगदलपुर, जिला-बस्तर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1077/खनिज/ख.लि.4/05/2020-21/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 19/05/2021 द्वारा जारी 500 मीटर के प्रमाण पत्र अनुसार 3 खदानें, क्षेत्रफल 3.25 हेक्टेयर होना बताया गया।

आवेदित खदान के लिए परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी 500 मीटर के प्रमाण पत्र अनुसार 6 खदानें, क्षेत्रफल 3.74 हेक्टेयर होना बताया गया है।

उपरोक्त 500 मीटर के प्रमाण पत्रों में ग्राम-टिकनपाल खसरा क्रमांक 277, 278, रकबा 0.85 हेक्टेयर श्री गणेश राम, निवासी-चमिया टिकनपाल एवं खसरा क्रमांक 280/2, 280/3, रकबा 0.9 हेक्टेयर श्री प्रताप भानुशाली, निवासी-सोमरपाल के खदानों का नाम कॉमन (Common) है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत 500 मीटर की जानकारी में त्रुटि है। अतः आवेदित खदान के लिए परियोजना प्रस्तावक को लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए प्रमाण पत्र मंगाया जाना आवश्यक है। साथ ही संचालक, संचालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को भी उक्त के संबंध में पत्र प्रेषित करते हुए तथ्यों से अवगत कराया जाए।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. माईनिंग विभाग से क्लस्टर क्षेत्र में 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी उपरोक्त विवरण अनुसार प्रस्तुत किये जाने के लिए निर्देशित किया जाए।
2. ऊपरी मिट्टी (Top Soil) के भंडारण की उपयुक्त व्यवस्था को समाहित करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया जाए।
4. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 10/05/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 411वीं बैठक दिनांक 17/06/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के पृ. ज्ञापन क्रमांक / 1835-ए/खनिज/ख.लि.4/22/2020-21/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 03/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, क्षेत्रफल 1.98 हेक्टेयर है।
2. भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
3. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 8,095 घनमीटर है। इसमें से 3,408 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग एवं शेष 4,687 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 291 एवं क्षेत्रफल 0.7 हेक्टेयर) में भंडारित

कर संरक्षित रखा जाएगा। समिति का मत है कि ऊपरी मिट्टी की शेष मात्रा लीज क्षेत्र के अंदर ही भण्डारित की जाए। यदि परियोजना प्रस्तावक शेष मात्रा 4,687 घनमीटर को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित स्थल में भण्डारित करना चाहता है तो समिति का मत है कि उक्त ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भण्डारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव कार्य में किये जाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. खदान की लीज सीमा से ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भण्डारित करने हेतु भूमि कितनी दूरी पर स्थित है? क्या उक्त भूमि ऊपरी मिट्टी (4,687 घनमीटर) के दीर्घ अवधि तक भण्डारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु उपयुक्त है? के संबंध में नक्शे में दर्शाते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भण्डारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने, समय-समय पर निरीक्षणकर्ता अधिकारी को निरीक्षण करावे एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव कार्य में किये जाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स भैंसगांव लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री करन मानुशाली), ग्राम-भैंसगांव, तहसील व जिला-बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1763)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजस नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 224584 / 2021, दिनांक 13 / 08 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गीण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-भैंसगांव, तहसील व जिला-बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 1057, कुल क्षेत्रफल-1.21 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 28,260 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 02 / 09 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 387वीं बैठक दिनांक 06 / 09 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 06 / 09 / 2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री महेन्द्र भानुशाली, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत नैसगाव का दिनांक 07/09/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना — क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 390/खनिज/उत्ख.यो./2021-22 दंतेवाड़ा, दिनांक 03/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1893/खनिज/ख.ति. 4/19/2020-21/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 11/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर होना बताया गया है, जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनेरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1895/खनिज/ख.ति.4/19/2020-21/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 11/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण — एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1201/खनिज/ख.ति.



4/19/2020-21/खनिज/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 31/05/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू-स्वामित्व** – भूमि श्री मितेश भानुशाली के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक/क.त.अ./08 जगदलपुर, दिनांक 01/12/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 0.3 कि.मी. की दूरी पर है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आवादी ग्राम-मैसगांव 1.5 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम-मैसगांव 1.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. दूर है। मारकण्डी नदी 1 कि.मी. दूर है।
11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 5,44,500 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 2,82,600 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 2,54,340 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,064 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 9,038 घनमीटर है। ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	28,260	षष्ठम	28,260
द्वितीय	28,260	सप्तम	28,260
तृतीय	28,260	अष्टम	28,260
चतुर्थ	28,260	नवम	28,260
पंचम	28,260	दशम	28,260

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

(क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

2. उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. ऊपरी मिट्टी (Top Soil) हेतु उपरोक्तानुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
4. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में एवं सी.ई.आर. के तहत वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 27/01/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 402वीं बैठक दिनांक 15/03/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल करते हुये प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया गया है।
3. ऊपरी मिट्टी (Top Soil) हेतु उपरोक्तानुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
6. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में एवं सी.ई.आर. के तहत वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की

दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल करते हुये प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

- ऊपरी मिट्टी (Top Soil) हेतु उपरोक्तानुसार प्रबंधन प्लान योजना समाहित कर संशोधित अनुमोदित नाईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
- लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में एवं सी.ई.आर. के तहत वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/04/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 10/06/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 411वीं बैठक दिनांक 17/06/2022:

समिति द्वारा नरती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि:-

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के पू. ज्ञापन क्रमांक 307/खनिज/ख.लि.4/19/2022/खनिज/उ.प./2022 जगदलपुर, दिनांक 25/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है।
- संशोधित क्यारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-दक्षिण बस्तर दंतोवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 983/खनिज/उत्ख.यो./2022 दंतोवाड़ा, दिनांक 27/02/2022 द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी (Top Soil) की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 9,036 घनमीटर है। इसमें से 3,064 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग एवं शेष 5,972 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 1055 एवं क्षेत्रफल 1.21 हेक्टेयर) में भंडारित कर संरक्षित रखा जाएगा, जिसका उपयोग वृक्षारोपण एवं पुनःभराव किये जाने के लिए किया जाएगा।
- लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 657 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 6,570 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 16,000 रुपये, खाद के लिए राशि 2,000 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 6,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 30,570 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 8,000 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund

		Rupees)	Allocation (in Lakh Rupees)
27	2%	0.54	Following activities at, Village-Bhaisgaon
			Pavitra Van Nirman
			2.27
			Total
			2.27

5. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नम पीपल के लिए राशि 2,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रुपये, खाद के लिए राशि 700 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 41,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 83,700 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,44,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत भैसगांव के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 588, क्षेत्रफल 2.27 हेक्टेयर में से 0.4 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
6. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1201/खनिज/ख.लि.4/19/2020-21/खनिज/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 31/05/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी, जिसकी वैधता समाप्त हो गई है। अतः एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. खदान की लीज सीमा से ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित करने हेतु भूमि कितनी दूरी पर स्थित है? क्या उक्त भूमि ऊपरी मिट्टी (5.972 घनमीटर) के दीर्घ अवधि तक भण्डारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु उपयुक्त है? के संबंध में नक्शे में दर्शाते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने समय-समय पर निरीक्षणकर्ता अधिकारी को निरीक्षण करावे एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव कार्य में किये जाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स वी.के. मिनरल्स (घौरामाठा लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम-घौरामाठा, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1779)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 226815 / 2021, दिनांक 28 / 08 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-घौराभाठा, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 1213/1, 1213/2, 1213/3, 1223/1, 1223/2, 1223/3, 1223/4(पार्ट), 1220, 1221, 1222, 1224, 1225(पार्ट), 1153/2(पार्ट), 1212/1(पार्ट), 1214(पार्ट), 1211/1, 1211/2, 1209/1, 1209/2, 1209/3, 1209/4, 1209/5, 1207(पार्ट), 1208(पार्ट) एवं 1212/2, कुल क्षेत्रफल-3.4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,50,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/09/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 390वीं बैठक दिनांक 14/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री किशोर कुमार जैन, पार्टनर विडियो कान्फेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत घौराभाठा का दिनांक 27/11/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक खनि 02/रेत/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क.06/2020(1) नया रायपुर, दिनांक 16/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 915/खनि. लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 13/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.59 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 882/खनि.लि. 02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 27/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनोकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 3936/खनिज/उ.प./2021 दुर्ग, दिनांक 27/02/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 1 वर्ष हेतु वैध है।
7. **भू-स्वामित्व** – भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि/2020/4159 दुर्ग, दिनांक

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. गैर माईनिंग क्षेत्र – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के कुछ भाग में चौड़ाई कम होने के कारण 1,984 वर्गमीटर क्षेत्र (डम्प क्षेत्र) एवं ऑफिस हेतु 104 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।
17. माईनिंग प्लान अनुसार लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मात्रा 27,698 घनमीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 15,200 घनमीटर को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में 2.25 मीटर की ऊंचाई तक तथा शेष ऊपरी मिट्टी की मात्रा 12,498 घनमीटर को डम्प क्षेत्र 1,984 वर्गमीटर क्षेत्र में 6.4 मीटर की ऊंचाई तक भंडारित किया जाएगा। समिति का मत है कि सुरक्षा कारणों से ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में 1 मीटर की ऊंचाई से अधिक तथा डम्प क्षेत्र में स्लोप 28 डिग्री से अधिक रखा जाना संभव नहीं है। अतः उपरोक्त के आधार पर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
18. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
68.30	2%	1.36	Following activities at Government Higher Secondary School, Village- Dhaurabhatha	
			Rain Water Harvesting System	1.35
			Plantation	0.05
			Total	1.40

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
2. भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना के संबंध में उपरोक्त के विवरण अनुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
4. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 06/12/2021, 10/01/2022 एवं 24/01/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

5. मेसर्स पण्डरी ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स विमनी प्लांट (प्रो.- श्री आकाश जायसवाल), ग्राम-पण्डरी, तहसील-वाड्डफनगर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1671)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 213228/2021, दिनांक 28/05/2021। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 04/06/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 05/07/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स विमनी ईट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम-पण्डरी, तहसील-वाड्डफनगर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज स्थित खसरा क्रमांक 3017, 3037/2 एवं 3038, कुल क्षेत्रफल-1.0 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 1,500 घनमीटर (ईट उत्पादन इकाई 15,00,000 नग) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 383वीं बैठक दिनांक 31/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आकाश जायसवाल, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पण्डरी का दिनांक 24/01/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 743/खनिज/खलि.2/2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 22/05/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 501/खनिज/उत्खनि./2021 बलरामपुर, दिनांक 08/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 500/खनिज/उत्खनि./2021 बलरामपुर, दिनांक 08/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 205/गौण

खनिज/उत्खनन पट्टा/2020 बलरामपुर, दिनांक 26/02/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू-स्वामित्व** - भू-संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि भूमि श्रीमती सीमा जायसवाल के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल, बलरामपुर के आपन क्रमांक/मा.धि./2019/3126 बलरामपुर, दिनांक 10/06/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन भूमि से 3 कि.मी. की दूरी पर है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** - निकटतम आवादी ग्राम-पण्डरी 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम-पण्डरी 1 कि.मी. एवं अस्पताल वाइफनगर 20 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 50 कि.मी. दूर है।
11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** - जियोलॉजिकल रिजर्व 20,000 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 14,246 घनमीटर एवं रिकवरेबल रिजर्व 13,533 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 409 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.2 हेक्टेयर में क्षेत्र ईट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित है, जिसकी फिक्स विमनी की ऊंचाई 33 मीटर है। ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत प्लाई ऐश का उपयोग किया जायेगा। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। एक लाख ईट निर्माण हेतु 10 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जायेगा। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
प्रथम	1,500	15,00,000
द्वितीय	1,500	15,00,000
तृतीय	1,500	15,00,000
चतुर्थ	1,500	15,00,000
पंचम	1,500	15,00,000

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
षष्ठम	1,500	15,00,000
सप्तम	1,500	15,00,000
अष्टम	1,500	15,00,000
नवम	1,500	15,00,000
दशम	1,310	13,10,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 208 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
38	2%	0.72	Following activities at Government Primary School, Village-Murliganj	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Plantation	0.20
			Total	0.80

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. भू-संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) एवं कोयले से जनित प्लाई ऐश के उपयोग संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

Blue

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/08/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 07/09/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

नवीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 392वीं बैठक दिनांक 10/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुभाष कुमार वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
2. कार्यालय उपनिदेशक, एलीफेन्ट रिजर्व सरगुजा, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2021/1323 अम्बिकापुर, दिनांक 04/09/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र तमोर पिंगला अभ्यारण्य की सीमा से 7.5 कि.मी. की दूरी पर है।
3. रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकेन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग पहुंचमार्ग के रख-रखाव हेतु किया जाएगा। कोयले से जनित फ्लाई ऐश की मात्रा 5 से 8 प्रतिशत है, जिसका उपयोग ईट निर्माण हेतु किया जाएगा।
4. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र लेटर पैड (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाना बताया गया है। समिति का मत है कि प्रस्तावित ईट निर्माण हेतु फ्लाई ऐश की मात्रा एवं किस उद्योग से लिया जाएगा तथा उस उद्योग में प्रस्तावित ईट निर्माण हेतु फ्लाई ऐश की मात्रा की उपलब्धता है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
6. अनुमोदित माईनिंग प्लान में 1 घनमीटर मिट्टी एवं 1 घनमीटर फ्लाई ऐश से 500 नग ईट निर्माण का उल्लेख है। जबकि वास्तव में कुल 1 घनमीटर (मिट्टी + फ्लाई ऐश) से 500 नग ईट निर्माण होता है। प्रस्तावित उत्खनित मात्रा 10 वर्षों में कुल रिकवरेबल रिजर्व की मात्रा 13,533 घनमीटर से अधिक न हो। अतः उपरोक्त का समावेश करते हुये संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
7. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) से सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र लेटर पैड (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) में प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तावित ईट निर्माण हेतु फ्लाई ऐश की मात्रा एवं किस उद्योग से लिया जाएगा तथा उस उद्योग में प्रस्तावित ईट निर्माण हेतु फ्लाई ऐश की मात्रा की उपलब्धता है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. उपरोक्तानुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

4. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) से सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 392वीं बैठक दिनांक 10/01/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 20/01/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 400वीं बैठक दिनांक 03/03/2022:

समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत पण्डरी का दिनांक 10/01/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। प्रस्तावित ईट निर्माण हेतु आवश्यक कोयले को एस.ई.सी.एल. उद्योग से लिया जाएगा तथा उस उद्योग में प्रस्तावित ईट निर्माण हेतु कोयले की उपलब्धता है। इस बाबत जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
3. संशोधित क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1928/खनिज/खलि.2/2022 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 19/01/2022 द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार 1 घनमीटर मिट्टी एवं 1 घनमीटर फ्लाई ऐश से 1,000 नग ईट निर्माण किया जाएगा।
4. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) से सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 205/गौण खनिज/उत्खनन पट्टा/2020 बलरामपुर, दिनांक 26/02/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी, जिसकी वैधता समाप्त हो गई है। अतः एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
6. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में एवं सी.ई.आर. के तहत वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में एवं सी.ई.आर. के तहत वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/03/2022 एवं 20/05/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 23/05/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 411वीं बैठक दिनांक 17/06/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि:-

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संचालक, संचालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पु. ज्ञापन क्रमांक 2422/खनि 02/उ.प.-अनुनिष्ठा./न. क्र.50/2017(1) नवा रायपुर, दिनांक 13/05/2022 द्वारा जारी की गई है, जो 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 24/02/2023) तक की अवधि हेतु वैध है।
2. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 208 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 5,200 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 20,000 रुपये, खाद के लिए राशि 5,200 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 85,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 1,15,400 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 3,60,800 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
3. सी.ई.आर. के तहत वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 2,200 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 5,000 रुपये, खाद के लिए राशि 550 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 5,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 12,750 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 22,200 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
4. माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 501/खनिज/उत्खनि./2021 बलरामपुर, दिनांक 08/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-पण्डरी) का रकबा 1 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स पण्डरी ब्रिक्स अर्ध क्ले क्वारी एण्ड फिक्स विमनी प्लांट (प्रो.- श्री आकाश जायसवाल) की ग्राम-पण्डरी, तहसील-वाड़फनगर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के खसरा क्रमांक 3017, 3037/2 एवं 3038 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर क्षमता - 1,500 घनमीटर (ईट उत्पादन इकाई 15,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-01 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स बिलाडी लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री संजय सहगल), ग्राम-बिलाडी, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1190)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 144140/2020, दिनांक 20/02/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमिथी होने से ज्ञापन दिनांक 26/02/2020 एवं 17/07/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 07/07/2020 एवं 19/08/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बिलाडी, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 105/1, कुल क्षेत्रफल-2.9 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-3,500 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 338वीं बैठक दिनांक 02/09/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) की स्पष्ट/ पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. सीमा सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
4. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में वर्षवार किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्ष) खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।



5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 08/10/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय सहगल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बिलाडी का दिनांक 06/05/2004 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** — क्वारी प्लान एलांग विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी ब्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा.), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 04/ख.लि./तीन-6/उ.प./2017 रायपुर, दिनांक 03/04/2017 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक /क/ख.लि./तीन-6/2019/2047 रायपुर, दिनांक 25/09/2019 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ** — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक /क/ख.लि./तीन-6/2019/2036 रायपुर, दिनांक 24/09/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. **लीज का विवरण** — यह शासकीय भूमि है। पूर्व में लीज श्री शिव कुमार देवगर्न के नाम पर थी। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 27/11/2004 से 26/11/2014 तक की अवधि हेतु थी। लीड डीड का हस्तांतरण श्री संजय सहगल के नाम पर दिनांक 02/09/2010 को किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज डीड की अवधि वृद्धि हेतु आवेदन किया गया है।
6. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** — वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक /मा.वि./रा/3025 रायपुर, दिनांक 07/09/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 2 कि.मी. की दूरी पर है।

8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी ग्राम-विलाही 1 कि.मी, स्कूल ग्राम-विलाही 1 कि.मी, एवं अस्पताल तिल्दा 4 कि.मी, की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी, एवं राज्यमार्ग 1 कि.मी, दूर है।
9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 4,35,000 टन, माईनेबल रिजर्व 3,02,133 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 2,71,919 टन है। जियोलॉजिकल रिजर्व की गणना 8 मीटर गहराई तक की गई है। विगत 10 वर्षों में 0.93 हेक्टेयर क्षेत्र में 1 मीटर गहराई तक उत्खनन किया गया है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.49 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 3 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 1,866 घनमीटर एवं मोटाई 0.2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं वर्तमान में इसकी स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लारिस्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
प्रथम	933	1.5	1,400	3,500
द्वितीय	933	1.5	1,400	3,500
तृतीय	933	1.5	1,400	3,500
चतुर्थ	933	1.5	1,400	3,500
पंचम	933	1.5	1,400	3,500

आगामी वर्षों का उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
छठवे	933	1.5	1,400	3,500
सातवे	933	1.5	1,400	3,500
आठवे	933	1.5	1,400	3,500
नौवे	933	1.5	1,400	3,500
दसवे	933	1.5	1,400	3,500

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

11. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत से सहमति ली जाएगी।
12. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1200 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि



ऊपरी मिट्टी को प्रथम वर्ष में उत्खनन कर, 7.5 मीटर की पट्टी में भण्डारण/संरक्षित कर प्रथम वर्ष में ही पूर्ण वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 105/1, कुल क्षेत्रफल - 2.9 हेक्टेयर, क्षमता - 300 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 12/06/2015 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 15/10/2015 तक की अवधि हेतु जारी की गई।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन दिनांक 06/10/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2010	250
2011	500
2012	निरंक
2013	500
2014	निरंक

- प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उत्खनन कार्य वर्ष 2014 से बंद है। चूंकि लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 27/11/2004 से 26/11/2014 तक की अवधि हेतु थी।

14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव में शासकीय स्कूल, ग्राम-बिलाडी में प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग एवं वृक्षारोपण की उपयुक्त गणना तथा कुल लागत में प्रस्तावित क्रशर की लागत को समावेश नहीं किया गया है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में ब्लॉक रिजर्व की गणना में प्रस्तावित क्रशर क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया है एवं उक्त क्षेत्र के ब्लॉक रिजर्व की गणना भी नहीं की गई है। साथ ही प्रस्तुत लेण्ड यूज पैटर्न में लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) के क्षेत्रफल का विवरण नहीं दिया गया है। अतः उपयुक्त की गणना कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

- उपरोक्त विवरण अनुसार रिजर्व की विस्तृत गणना कर, संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
- सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के प्रस्ताव में कुल लागत में प्रस्तावित क्रशर की लागत को समावेश किया जाए एवं प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, वृक्षारोपण आदि की उपयुक्त गणना सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।



3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/11/2020 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 05/01/2021 को जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में दिनांक 03/04/2017 को प्रस्तुत अनुमोदित क्वारी प्लान में जियोलॉजिकल रिजर्व 4,35,000 टन, माईनेबल रिजर्व 3,02,133 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 2,71,919 टन होना बताया गया है, जबकि गणना में प्रस्तावित क़शर क्षेत्र में ब्लॉकड रिजर्व को शामिल नहीं किया गया। वर्तमान में प्रस्तुत संशोधित माईनिंग प्लान में जियोलॉजिकल रिजर्व 4,23,750 टन एवं माईनेबल रिजर्व 2,97,150 टन है। साथ ही ब्लॉकड रिजर्व की गणना में प्रस्तावित क़शर क्षेत्र (ब्लॉकड रिजर्व 22,500 टन) होना बताया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि गणना में त्रुटि है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।
2. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** - सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के प्रस्ताव में कुल लागत में प्रस्तावित क़शर की लागत को समावेश करते हुये प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, वृक्षारोपण आदि की उपयुक्त गणना सहित निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
70.04	2%	1.40	Following activities at Nearby Government Primary School, Village- Biladi	
			Rain Water Harvesting System	1.00
			Potable Drinking Water Facility	0.15
			Plantation with fencing	0.30
			Total	1.45

समिति द्वारा सत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को बिन्दु क्रमांक 1 के संबंध में स्पष्ट जानकारी एवं समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021:



प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय सहगल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. **उत्खनन योजना** — संशोधित क्वारी प्लान एलांगविथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन पृ.क्रमांक 5112/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.04/2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 08/12/2020 द्वारा अनुमोदित है। जिसमें जियोलॉजिकल रिजर्व 4,31,250 टन एवं माईनेबल रिजर्व 3,04,650 टन है। साथ ही ब्लॉक रिजर्व की गणना में प्रस्तावित क़शर क्षेत्र 1,500 वर्गमीटर (कुल ब्लॉक रिजर्व 22,600 टन) होना बताया गया है।
2. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि पूर्व में इत घूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 105/1, कुल क्षेत्रफल-2.9 हेक्टेयर, क्षमता-300 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 12/06/2015 को जारी की गई थी। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता-3,500 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण क्षमता विस्तार का है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन मंगाये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/03/2021 के परिपेक्ष्य में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/09/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(इ) समिति की 390वीं बैठक दिनांक 14/09/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर के ज्ञापन दिनांक 13/09/2021 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन अनुसार शर्त क्रमांक 14 (वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया जाना), शर्त क्रमांक 25 (न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में प्रसारित नहीं किया गया) एवं 26 (पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया) का अपूर्ण पालन होना बताया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्तों का पालन पूर्ण करने के उपरांत ही आगामी कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्त क्रमांक 14 अनुसार वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर फोटोग्राफ्स सहित एवं निर्धारित शर्त क्रमांक 26 अनुसार अर्धवार्षिक पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 09/12/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ई) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्त क्रमांक 14 अनुसार वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया गया है।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्त क्रमांक 26 (पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया) का अपूर्ण पालन होना बताया गया है।
3. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. लीज क्षेत्र के चारों ओर प्रस्तावित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में एवं सी.ई.आर. के तहत वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्त क्रमांक 26 अनुसार अर्धवार्षिक पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र के चारों ओर प्रस्तावित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में एवं सी.ई.आर. के तहत वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 23/03/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(उ) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 30/03/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर स्थिति पाई गई कि:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी बिन्दुवार प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार शर्त क्रमांक 14, 25, 26 एवं 31 का पालन नहीं किया गया है।
2. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. लीज क्षेत्र के चारों ओर प्रस्तावित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में 1,200 नग वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 60,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,58,700 रुपये, खाद, सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए राशि 1,89,600 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 4,08,300 रुपये 5 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
4. सी.ई.आर. के तहत 50 नग वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 2,500 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 23,000 रुपये, खाद, सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए राशि 48,100 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 70,000 रुपये 5 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
5. उत्खनन के संबंध में प्रस्तुत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र वर्ष 2004 का है। तत्पश्चात् लीज डीड का हस्तांतरण हो चुका है। अतः समिति का मत है कि उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं कशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की प्रस्तुत बिन्दुवार जानकारी के शर्त क्रमांक 14, 25, 26 एवं 31 का पालन पूर्ण कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये।
2. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं कशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/05/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 24/05/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ऊ) समिति की 411वीं बैठक दिनांक 17/06/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की प्रस्तुत बिन्दुवार जानकारी के शर्त क्रमांक 14, 25, 26 एवं 31 का पालन पूर्ण कर 6 माह के भीतर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना बताया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि चूंकि यह खदान क्षमता विस्तार के प्रकरण के अंतर्गत आता है। पूर्व में उत्खनन के संबंध में प्रस्तुत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र वर्ष 2004 के आधार पर ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है तथा पूर्व में कशर की स्थापना का प्रस्ताव नहीं था। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में भी वर्ष 2004 के ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर ही पर्यावरणीय स्वीकृति (क्षमता विस्तार के लिए) जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त के संबंध में समिति का मत है कि परियोजना

प्रस्तावक द्वारा संशोधित क्वारी प्लान में ब्लॉकड रिजर्व की गणना में प्रस्तावित क्रशर क्षेत्र 1,500 वर्गमीटर (कुल ब्लॉकड रिजर्व 22,600 टन) होना बताया गया है तथा पूर्व में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र वर्ष 2004 का केवल उत्खनन के संबंध में जारी किया गया है। जबकि वर्तमान में क्षमता विस्तार के साथ क्रशर की स्थापना का प्रस्ताव भी किया गया है। अतः उत्खनन के संबंध में एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. अद्यतन उत्खनन के संबंध में एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. क्षमता विस्तार से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पी.सी.यू. में वर्तमान उत्खनन क्षमता (300 टन प्रतिवर्ष) से क्षमता वृद्धि (3,500 टन प्रतिवर्ष) करने पर कुल प्रदूषण में वृद्धि होगी। अतः प्रदूषण को कम करने के संबंध में आपके द्वारा शासन के नियमानुसार समुचित उपाये किये जायेंगे इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. वर्तमान में ब्लास्टिंग की संख्या तथा क्षमता विस्तार करने पर ब्लास्टिंग की संख्या में वृद्धि होगी। ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. वर्तमान एवं क्षमता विस्तार उपरांत अतिरिक्त सुरक्षा उपाये एवं अद्यतन पर्यावरण प्रबंधन योजना (ई.एम.पी.) शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स बंसल स्टोन (प्रो.- श्रीमती पुष्पा अग्रवाल, मुरा लाईम स्टोन माईन), ग्राम-मुरा, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर (सचिवालय का नरती क्रमांक 1800)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 67321 / 2021, दिनांक 06 / 09 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-मुरा, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 397 / 2, 397 / 4, 397 / 17, 397 / 2, 639 / 7, 639 / 11, 639 / 13, 395 / 2 एवं 396 / 2, कुल क्षेत्रफल-1.67 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 46,496.1 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18 / 01 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 397वीं बैठक दिनांक 27/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 27/01/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/अनुरोध पत्र दिनांक 23/03/2022 एवं 06/06/2022 को प्रस्तुतीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 411वीं बैठक दिनांक 17/06/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी / अनुरोध पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण कर विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स खजुरी ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स धिमनी प्लांट (प्रो.- श्रीमती जमुना बाई पाडे), ग्राम-खजुरी, तहसील-पथरिया, जिला-मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1735)

आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 218144/2021, दिनांक 02/12/2020 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 24/05/2022 के माध्यम से आवेदन को निरस्त किये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स धिमनी ईट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम-खजुरी, तहसील-पथरिया, जिला-मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 247/5, 247/6 एवं 247/16, कुल क्षेत्रफल - 0.951 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 1,500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 81, दिनांक 22/04/2022 द्वारा विचाराधीन खदान उत्खनन का प्रकरण के कारण अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्व्हीरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हीरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 411वीं बैठक दिनांक 17/06/2022:

वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।

22. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।
23. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
24. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस. ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
26. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
27. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
28. मिट्टी उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।
29. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
30. श्रमिकों के लिए खाने स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
31. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
32. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
33. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्खनन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस. ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।



34. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निरस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
35. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।
36. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
37. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
38. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
39. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
40. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ ने प्रस्तुत विवरण में कोई भी विघटन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

